भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3015
(जिसका उत्तर सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया गया)

केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र

3015. श्री रघु राम कृष्ण राजू:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में दायर विभिन्न प्रपत्रों के केंद्रीकृत संचालन के माध्यम से कंपनियों को तीव्रतर उत्तर देने के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की दिशा में काम कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है तथा तेलंगाना सहित अब तक कौन-सा स्थान चिह्नित किया गया है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): जी, हां। विभिन्न नॉन स्ट्रेट थ्रू प्ररूपों के केंद्रीकृत संचालन के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में संबंधित क्षेत्र के कंपनी रजिस्ट्रार क्षेत्राधिकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, सीपीसी के कार्यान्वयन और स्थापना करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंदर एक समिति गठित की गई है। सीपीसी को मानेसर में स्थापित करने की संभावना है और तेलंगाना में यह केंद्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

*****